नागरिक अधिकार पत्र
वाणिज्यिक कर विभाग

इस नागरिक अधिकार पत्र का उद्देश्य विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक सरल, संवेदनशील एवं पारदर्शी बनाना है। नागरिक अधिकार पत्र विभाग में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों में कार्य के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करेगा तथा उद्योग एवं व्यापार जगत में विभाग के प्रति विश्वास में वृद्धि होगी। इस अधिकार पत्र का उद्देश्य विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं से उद्योग व्यापार जगत को परिचित कराना है तथा साथ ही विभिन्न कार्य स्तरों के सक्षम अधिकारी कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक दस्तावेज तथा कार्य निष्पादन हेतु सामान्यसमय सीमा का उल्लेख इस अधिकार पत्र में किया गया है। आवश्यक एवं पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरान्त निर्धारित समय सीमा में कार्य को अंजाम देने के लिये विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिबद्ध है। आवश्यकतानुसार व्यावहारिक आधार पर समय सीमा की समीक्षा को पुनर्विलोकित कर संशोधन किये जा सकते है।

विभागीय कार्य मुख्यतः तीन स्तरों पर किया जाता है।

1. वृत स्तर पर
2. खण्ड स्तर पर
3. मुख्यालय स्तरपर

वृत्त स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले मुख्य कार्यों के लिये मानक सक्षम अधिकारीः सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

कार्य विवरण	*कार्य के लिये आवश्यक दस्तावेज*	*कार्य निष्पादन के लिये निर्धारित अवधि*
नये व्यवहारियों कापंजीयन	**श्राजस्थान विकय कर अधिनियम/ नियम/परिपत्रों के तहत** 1. आवेदन पत्र एस.टी.–3 पूर्ण रूप से भरा हुआ मय फोटो व उनके सत्यापन के (डुप्लीकेट में प्रस्तुत किया जाना है)। 2. पंजीयन शुल्क रु.100.00 का चालान एस. टी.–10 का चतुर्थ भाग। 3. एस.टी.–32 में जमानत बन्ध रु.10000.00 4. राष्ट्रीय बचत पत्र रु.1000.00 विभाग के पक्ष में रहन किये हुए। 5. लिखित साझेदारी की दशा में साझेदारी विलेख की छाया प्रति। 6. कम्पनी की दशा में मेमोरेन्डम की प्रति। 7. व्यवसाय स्थल किराये का होने की दशा में किराये की रसीद की प्रति। 8. आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों के बाबत पूर्ण व सत्य होने का शपथ पत्र। 9. अतिरिक्त व्यवसाय स्थल/ब्रान्च होने की दशा में प्रति ब्रान्च 25.00 रुपये जमा कराने के चालान की प्रति (जैम्स एवं स्टोन के व्यवहारियों को राष्ट्रीय बचत पत्र प्रस्तुत नहीं करने हैं)।	आवेदन पत्र प्राप्ति के 30 दिन में परन्तु सक्षम अधिकारी के संतुष्ट होने तथा आवेदन पत्र के पूर्ण होने व पूर्णता के बाबत शपथ पत्र संलग्न होने की दशा में उसी दिन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कियाजाना है जिस दिन इस हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो परन्तु किसी भी दशा में बिना जमानत प्रस्तुति के आवेदन पत्र विचारणीय नहीं है।

	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम/ नियमों के तहत 1. आवेदन पत्र प्रपत्र–अ पूर्ण रूप से भरा हुआ। 2. कोर्ट फीस स्टाम्प रु.25.00 की राशि मूल आवेदन पत्र पर चस्पा हुई हो। 3. जमानत बन्धपत्र एस.टी.–32 रु.10000.00 जिस पर स्टाम्प ड्यूटी रु.200.00 अदा की गई हो। 4. राष्ट्रीय बचत पत्र रु.2000.00 विभाग के पक्ष में रहन किये हुए। (पंजीकृत लघु इकाई होने की दशा में राष्ट्रीय बचत पत्र 1000.00 के ही आरएसटी/सीएसटी के तहत पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने हैं।) जमानत बन्धपत्र–32 पंजीकृत व्यवसाइयों के प्रस्तुत किये जा सकते हैं अन्यथा बैंक गारंटी नकद राशि अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र भी जमानत के रूप में निर्धारित राशि के स्वीकार्य है।	
अंतिम रूप से जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को अंतिम पंजीयन प्रमाण पत्र के रूप में पृष्ठांकित किया जाना	1. प्रपत्र एस.टी.–15 में रु.2.00 के कोर्ट फीस टिकट सहित दो प्रतियों में आवेदन। 2. विनिर्मित माल के प्रथम विक्रय बिल की छाया प्रति।	आवंदन पत्र प्रस्तुत करने के 3 दिवस में।
पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन	सादा कागज पर रु.5.00 के कोर्ट फीस टिकट सहित आवेदन।	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 3 दिन में।
अतिरिक्त व्यवसाय स्थल की प्रविष्टि	1. सादा कागज पर रु.5.00 के कोर्ट फीस टिकट सहित आवेदन। 2. प्रत्येक अतिरिक्त व्यवसाय स्थल/ब्रान्च की दशा में रु.25.00 के चालान की प्रति।	स्थानीय व्यवसाय होने की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 7 दिन में तथा अन्य मामलों में आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों में
डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना कर मुक्ति/ विमुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना	1. निर्धारित आवेदन पत्र एस.टी.–1 में पूर्ण रूप से भरा हुआ मय आवेदन पत्र शुल्क रु.2.00 के कोर्ट फीस टिकट के (जहाँ राज्य सरकार की विज्ञप्ति के जरिये सादा कागज पर अन्य औपचारिकताओं के पूर्ण करने की शर्तें विहित नहीं की गई हो।) 2. निर्धारित मुक्ति/विमुक्ति शुल्क जमा कराने के चालान की एक प्रति। 3. कार्य संविदा निष्पादक की दशा में अवार्डर से प्राप्त राशि पर नियमानुसार मुक्ति शुल्क के भुगतान का प्रमाण।	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 30 दिन में
औद्योगिक इकाइयों को कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना	1. जिला/राज्य स्तरीय छानबीन समितियों से प्राप्त अभिशंसा पत्र/	अभिशंसा प्राप्ति के 7 दिन में।
कर चुकता प्रमाण पत्र जारी करना	1. सादा कागज पर रुपये 2.00 के कोर्ट फीस टिकट सहित आवेदन पत्र। 2. पूर्व में किये गये व्यवसाय के बाबत प्रस्तुत विवरणियों, कर एवं बकाया मांग के भुगतान के प्रमाण की प्रस्तुति। 3. कर चुकता प्रमाण पत्र के आवश्यकता के उद्देश्य की घोषणा।	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 3 दिन में।

घोषणा पत्र जारी करना	1. निर्धारित प्रपत्र एस.टी.–16 में आवेदन पत्र मय शुल्क रु.2.00 के कोर्ट फीस टिकट के। 2. आवश्यक शुल्क के भुगतान के प्रमाण (चालान) की एक प्रति (एस.टी.–17, 17बी, एस.टी.–18ए, एस.टी.–18सी तथा एस.टी. –28 की दशा में प्रत्येक 25 फार्मों के लिये शुल्क रु. 50.00 निर्धारित है।) 3. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत निर्धारित घोषणा पत्र यथा 'सी', 'ई–1', 'ई–2', 'एफ' व 'एच' की दशा में प्रत्येक 25 फार्मों के लिए निर्धारित शुल्क रु.21.00 है। 4. पंजीयन जांच, प्रस्तुत जमानतों का सत्यापन, देय मासिक कर की अदायगी, आद्यतन विवरणियों की प्रस्तुति एवं बकायामांग की अदायगी तथा पूर्व में जारी घोषणा पत्रों के उचित उपयोग के लेखों की प्रस्तुति।	आवेदन पत्र प्रस्तुति के दिन। (यदि जारी करने वाला अधिकारी घोषणा पत्रों के उचित उपयोग के बारे में संतुष्ट हो।)
वृत्त कार्यालयों में प्राप्त विविध आवेदन पत्रों का निष्पादन यथा अधित्यजन, माफी, करापवंचन की दशा में विमुक्ति आदि	1. सादा कागज पर आवेदन मय आवेदन पत्र शुल्क रु.2.00 के कोर्ट फीस टिकट के।	टावेदन पत्र प्राप्ति के 3 दिन में सम्बन्धित अधिकारी को टिप्पणी का प्रेषण।
प्रत्यार्पण जारी करना	1. सम्बन्धित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसके तहत प्रत्यार्पण भुगतान के आदेश पारित किये गये हों। 2. कोई कर अथवा मांग बकाया होने/नहीं होने की घोषणा। 3. जमा राशि जिसका प्रत्यापर्ण किया जा रहा है, के भुगतान के प्रमाण। 4. अपील, निगरानी अथवा न्यायिक आदेशों से भिन्न अन्य प्रकरणों में प्रत्यापर्ण आवेदन पत्र सादा कागज पर प्रस्तुति मय रु.2.00 के कोर्ट फीस टिकट के।	टादेश/आवेदन पत्र प्राप्ति के 21 दिन में, यदि वृत्त कार्यालय द्वारा प्रत्यापर्ण रोकने हेतु आवेदन नहीं किया गया हो। (आवश्यकता होने पर अपंजीकृत व्यवसाइयों को प्रत्यार्पण जारी करने की दशा में विशेष जांच कराई जासकेगी।)
किस्तों में बकाया मांग राशि को भुगतान करने की सुविधा प्रदान करना	1. आवेदन पत्र सादा कागज पर प्रस्तुति मय पांच रूपये के कोर्ट फीस के चस्पानगी के। 2. निर्धारित वित्तीय परिसीमा के बाहर होने की दशा में सक्षम अधिकारी की अनुमति।	स्वयं की शक्तियों में बकाया मांग राशि होने की दशा में 3 दिन में अन्यथा उच्च अधिकारियों से अनुमति प्राप्ति के 3 दिन में।
विवरण	*देय शुल्क*	*निर्धारित समय सीमा*
किसी भी अधिकारी द्वारा पारित आदेश अथवा अन्य दस्तावेजों की नकल	1. आवेदन पत्र मय कोर्ट फीस टिकट रु.2.00 2. प्रत्येक पृष्ठ व उसके हिस्से के लिए रु. 4.00 कोर्ट फीस टिकट।	आवेदन पत्र प्रस्तुति के 7 दिन में।
किसी भी अधिकारी द्वारा पारित आदेश अथवा अन्य दस्तावेजों की अर्जेन्ट नकल	1. आवेदन पत्र मय कोर्ट फीस टिकट रु.4.00 2. प्रत्येक पृष्ठ व उसके हिस्से के लिए रु. 8.00 कोर्ट फीस टिकट।	आवेदन पत्र प्रस्तुति के 3 दिन में।

दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु आवेदन की दशा में	1. आवेदन पत्र मय कोर्ट फीस टिकट रु.2.00 2. रुपये 10.00 कोर्ट फीस टिकट।	आवेदन पत्र प्राप्ति के दिन।
शिकायतों का निष्पादन 1. व्यवसाइयों की दशा में 2. कर्मचारियों/अधिकारियों की दशा में	शिकायत पत्र की प्राप्ति, जिसमें विशिष्ट तथ्यों का उल्लेख किया गया हो, यथा शिकायतकर्ता का नाम, पता तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज आदि अंकित/संलग्न किये गये हों, दर्ज किया गया हो। —— उपर्युक्तानुसार ——	शिकायत पत्र प्राप्त होने के 24 घंटें में सर्वेक्षण कराने अथवा न कराने का निर्णय किया जायेगा। शिकायत प्राप्ति के 7 दिन में जॉच/कार्यवाही प्रारम्भ।

सम्भाग स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले मुख्य कार्यों के लिए मानक सक्षम अधिकारी : उपायुक्त (प्रशासन)

कार्य विवरण	*कार्य के लिये आवश्यक दस्तावेज*	*कार्य निष्पादन के लिये निर्धारित अवधि*
छविगृहों के मनोरंजन कर हेतु प्रशमन आदेश	1. आवेदन पत्र सादे कागज पर मय कोर्ट फीस रु.2.00 2. जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वीकृत कुल बैठक क्षमता तथा निर्धारित प्रवेश दरें। 3. मनोरंजन कर बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र।	आवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिन में।
राजस्थान विक्रय का अधिनियम की धारा 72 के तहत करापवंचन के मामलों में प्रशमन	1. सम्बन्धित व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मय सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की टिप्पणी।	आवेदन पत्र के संलग्न टिप्पणी प्राप्ति की 3 दिन में।
महिला उद्यमी को कर मुक्ति प्रमाण पत्र	1. महिला उद्यमी का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के। 2. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा इकाई के पंजीयन का प्रमाण पत्र। 3. राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के तहत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र।	आवेदन पत्र प्राप्ति के 21 दिन में
बकाया मांग राशि की किस्तों की अनुमति	व्यवसायी बाकीदारका प्रार्थना पत्र मय कर निर्धारण अधिकारी की टिप्पणी।	आवेदन पत्र पर टिप्पणी प्राप्ति के 7 दिन में।
कार्य संविदान से संबंधित व्यवहारियों को एक लाख से अधिक राशि के प्रत्यार्पण आदेश की स्वीकृति	1. सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा संभावित पारित किये जाने वाले आदेश की प्रस्तावित प्रति। 2. सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा उपर्युक्त प्रत्यार्पण की अनुमति हेतु आवेदन पत्र।	अनुमति आवेदन पत्र मय प्रस्तावित आदेश की प्रति प्राप्ति के 21 दिन में
सम्भाग के अंतर्गत कार्यरत व्यवसाइयों के संभाग में ही व्यवसाय स्थल परिवर्तित करने की स्वीकृति	व्यवसायी का आवेदन पत्र मय कोर्ट फीस टिकट रु. 2.00	टावेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिन में।

जनसाधारण द्वारा अधिनियम/ नियमों विज्ञप्तियों के संबंध में जानकारी/ स्पष्टीकरण	1. आवेदन पत्र मय कोर्ट फीस टिकट रु.2.00 2. प्रमुख बिन्दु जिन पर जानकारी/ स्पष्टीकरण चाहा गया है।	आवेदन पत्र प्राप्ति के 7 दिन में।
शिकायतों का निष्पादन 1. व्यवसाइयों की दशा में	शिकायत पत्र प्राप्ति, जिसमें विशिष्ट तथ्यों का उल्लेख किया गया हो, यथा शिकायतकर्ता का नाम, पता तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज आदि अंकित/संलग्न किये गये हों, दर्ज किया गया हो।	शिकायत पत्र प्राप्ति होने के 24 घंटे में सर्वेक्षण कराने अथवा न कराने का निर्णय किया जायेगा।
2. कर्मचारियों/ अधिकारियों की दशा में	—— उपर्युक्तानुसार ——	शिकायत प्राप्ति के 7 दिन में जांच/कार्यवाही प्रारम्भ।

मुख्यालय स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले मुख्य कार्यों के लिएमानक सक्षम अधिकारी : आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त (प्रशासन) मुख्यालय

कार्य विवरण	*कार्य के लिये आवश्यक दस्तावेज*	*कार्य निष्पादन के लिये निर्धारित अवधि*
छविगृहों के प्रशमन आदेशों का अनुमोदन	संबंधित उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा पारित मनोरंजन कर प्रशमन आदेश जिसमें प्रवेश दर (जिनके जिला प्रशासन द्वारा अनुमोदन कर उल्लेख हो), बैठक क्षमता, प्रवेश दर के आधार पर नवीन मनोरंजन कर प्रशमन योजना के अनुसार प्रवर्गानुसार प्रशमन राशि का निर्धारण तथा संबंधित सहा. आयुक्त/ वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों की अनुशंसात्मक टिप्पणी।	संबंधित उपायुक्त (प्रशासन) के पत्र प्राप्ति के 3 दिन में।
कर मुक्ति प्रार्थना पत्र पर टिप्पणी के साथ राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करना	विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेले व प्रदर्शनियों आदि का आयोजन जिसके लिये जिला प्रशासन से अनुमति, आयोजकों का पूर्ण विवरण, प्रवेश टिकट की दर इत्यादि का विवरण दिया हुआ हो।	आवेदन पत्र प्रस्तुति के दिन।
छविगृहों को कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना	नये छविगृहों द्वारा कर मुक्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया जाना, जिसमें यह उल्लेख हो कि निर्माण पूर्ण रूप से नया है, संबंधित विभाग से निर्माण हेतु पूर्व स्वीकृति नियमानुसार प्राप्त कर ली है,दर्शकों से किसी प्रकार का मनोरंजन कर वसूल नहीं कियाजा रहा है तथा व्यावसायिक प्रदर्शन दिनांक 31.3.2002 से पूर्व प्रारम्भ हो चुका है, इत्यादि विवरण।	आवेदन पत्र प्राप्ति के 7 दिन में।
विभाग द्वारा प्रशासित अन्य अधिनियम/ नियमों के संबंध में स्पष्टीकरण	1. आवेदन पत्र 2. वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित किये जाने वाले विभिन्न कर अधिनियमों जैसे व्यवसाय कर, प्रवेश कर, विलासिताकर से संबंधित पूछे जाने वाले स्पष्टीकरणों का विस्तृत उल्लेख।	स्पष्टीकरण चाहने के आवेदन पत्र प्रस्तुति के दिन।
तृतीय पक्ष द्वारा पंजीकृत व्यवहारी के बारे में सूचना चाहने के संबंध में स्वीकृति	प्रार्थना पत्र प्रस्तुति मय कोर्ट फीस शुल्क रु.50.00 के तथा प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना व सूचना चाहने के कारणों का उल्लेख।	आवेदन पत्र प्रस्तुति के 3 दिन में।

परिवहन जॉचः बनाये गये प्रकरण का निस्तारण	नोटिस का उत्तर, प्रभारी का जवाब व जवाब के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज	जवाब (दस्तावेज सहित) आने पर 24 घण्टे में आदेश पारित किया जाएगा।
रोके गये माल/ट्रक का छोड़ा जाना	शास्ति की राशि जमा कराने का प्रमाण अथवा सक्षम न्यायालय के आदेश की पालना में जमानत प्रस्तुत करने पर।	रोका गया माल/ट्रक यथा सम्भव अविलम्ब/24 घण्टे में छोड़ा जाएगा।
बिल्टी पर नोट अंकित करना	1. व्यवहारी द्वारा सादे कागज पर आवेदन पत्र मय कोर्ट फीस टिकट रु.2.00 के। 2. आवेदन पत्र के साथ मूल बिल व बिल्टी (लौटाने योग्य) एवं इनकी छाया प्रतियॉ। 3. आवेदन पत्र में संबंधित माल के जमा–खर्च व नियमानुसार देय कर अदायगी की अण्डरटेकिंग के।	बिल्टी का सत्यापन 24 घंटे में करवाया जाकर प्रकरण का निपटारा किया जाएगा।
शिकायतों का निष्पादन 1. व्यवसाइयों की दशा में	1. शिकायतकर्ता का आवेदन पत्र मय नाम, पूर्ण पता मय दस्तावेजों/प्रमाणों के।	सर्वेक्षण कराने अथवा न कराने का निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा 24 घण्टे में किया जाएगा
2. कर्मचारियों/अधिकारियों की दशा में (प्रतिकरावंचन शाखा में कार्यरत के अतिरिक्त)	1. –– उपर्युक्तानुसार –– 2. शिकायतकर्ता का शपथ पत्र।	1. मुख्यालय पर पद स्थापित अधिकारियों कार्मिकों के प्रकरणों में 15 दिन में 2. मुख्यालय के बाहरपदस्थापित अधिकारियों/ कार्मिकों के प्रकरणों में 30 दिन में।
3. प्रतिकरापवंचन शाखा में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की दशा में	1. शिकायत के साथ तथ्यात्मक प्रमाण के दस्तावेज, शिकायतकर्ता का पूर्ण पता हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत होने पर। 2. शिकायतकर्ता का शपथ पत्र।	3. उसी स्थान पर कार्यरत अधिकारी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जॉच 7 दिन में पूरी की जाएगी, अन्य स्थान पर कार्यरत अधिकारी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जॉच 15 दिन में पूरी की जाएगी तथा अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्णय लिया जायेगा।

वाणिज्यिक कर विभाग
नागरिक अधिकार पत्र

1. उद्देश्य	वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा व्यवसायियों की समस्याओं/शिकायतों का समाधान एक निर्धारित अवधि में हो सकें, इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरल, जवाबदेह, उत्तरदायी, पारदर्शी प्रशासन एवं सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करना।
2. पारदर्शिता	कर प्रशासन के प्रत्येक कार्य स्तर व कार्य प्रणाली में स्पष्टता एवं इसके अन्तर्गत करदायी को अधिकार प्रदत्त करने के प्रावधान।
3. कार्यनिष्पादन की निर्धारित प्रक्रिया	कर प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों की प्रक्रिया एवं आवश्यकता अनुसार मार्ग निर्देशिका अभिलिखित की गई है ताकि व्यवसायियों की समस्याओं का हर स्तरपर समय सीमा में निपटारा हो सके।
4. सूचना का अधिकार	विभिन्न कार्यालयों के बारे में वॉछित सूचना का जवाबदेह अधिकारी से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप करदायी तथा आम नागरिक को अधिकार प्रदत्त करने के प्रावधान।
5. समय सीमा	कार्य के विभिन्न स्तरों पर सक्षम अधिकारयों के लिये समय सीमा का निर्धारण किया गया है ताकि निर्धारित समय सीमा में त्वरित गति से कार्यों का निष्पादन कर व्यवसायी जगत की समस्याओं का निपटारा किया जा सके।